U;k;ky; HkicU/k vf/kdkjh ,o inu jktLo vihy
ikf/kdkjh chdkusj
Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 23@2021

1. सफी मोहम्मद पुत्र गफुर खां जाति मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।
2. लियाकत मोहम्मद पुत्र गफुर खां जाति मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।

vihykVl

cuke

1. करीम बक्स पुत्र अलीमुदीन जाति मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।
2. सदीक खां पुत्र अलीमुदीन जाति मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।
3. फरीद खा पुत्र कालू खां जाति मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।
4. अब्दुल लतीफ पुत्र कालू खां जाति मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।
5. बतूल बानो पुत्री कालू खां जाति मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।
6. कासम खां मनीर खां जाति शेख मुसलमान निवासी वार्ड न0 17 कस्बा राजगढ जिला चुरू । (मृतक)

6/1 अब्दुल अजीज पुत्र कासम खां जाति शेख मुसलमान निवासी वार्ड न0 17 कस्बा राजगढ जिला चुरू ।

6/2 नूरजहां पुत्री कासम खां जाति शेख मुसलमान निवासी वार्ड न0 17 कस्बा राजगढ जिला चुरू ।

6/3 खतीमा पुत्री कासम खां जाति शेख मुसलमान निवासी वार्ड न0 17 कस्बा राजगढ जिला चुरू ।

6/4 इब्राहीम पुत्र कासम खां जाति शेख मुसलमान निवासी वार्ड न0 17 कस्बा राजगढ जिला चुरू । (मृतक)

6/4/1 अयुब पुत्र इब्राहीम जाति शेख मुसलमान निवासी वार्ड न0 17 कस्बा राजगढ जिला चुरू ।

6/4/2 याबुब पुत्र इब्राहीम जाति शेख मुसलमान निवासी वार्ड न0 17 कस्बा राजगढ जिला चुरू ।

7/1 मैना पत्नी नबी बक्स जाति शेख मुसलमान निवासी वार्ड न0 19 कस्बा राजगढ जिला चुरू ।

7/2 हनीफ खां पुत्र नबी बक्स जाति शेख मुसलमान निवासी वार्ड न0 19 कस्बा राजगढ जिला चुरू ।

7/3 यासीन खां पुत्र नबी बक्स जाति शेख मुसलमान निवासी वार्ड न0 19 कस्बा राजगढ जिला चुरू ।

7/4 मोसीन खां पुत्र नबी बक्स जाति शेख मुसलमान निवासी वार्ड न0 19 कस्बा राजगढ जिला चुरू ।

7/5 नसीम पुत्र नबी बक्स जाति शेख मुसलमान निवासी वार्ड न0 19 कस्बा राजगढ जिला चुरू ।

7/6 उलफत पुत्री नबी बक्स जाति शेख मुसलमान निवासी वार्ड न0 19 कस्बा राजगढ जिला चुरू ।

7/7 रजिया पुत्री नबी बक्स जाति शेख मुसलमान निवासी वार्ड न0 19 कस्बा राजगढ जिला चुरू ।

8. उमराव अली पुत्र मनीर खां जाति शेख मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ जिला चूरू ।

9. फैज खां पुत्र मनीर खां जाति शेख मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ जिला चूरू ।

10. जमीला पत्नी हासम खां जाति शेख मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ जिला चूरू ।

11. मोहम्मद रफीम पुत्र हासम खां जाति शेख मुसलमान निवासी वार्ड न0 19 कस्बा राजगढ जिला चुरू ।

12. जुले खां पुत्र माहम्मद रफीक खां जाति शेख मुसलमान निवासी वार्ड न0 19 कस्बा राजगढ जिला चुरू ।

13. अब्दुला पुत्र मोहम्मद रफीक खां जाति शेख मुसलमान निवासी वार्ड न0 19 कस्बा राजगढ जिला चुरू ।

14. सायदा पुत्री मोहम्मद रफीक खां जाति शेख मुसलमान निवासी वार्ड न0 19 कस्बा राजगढ जिला चुरू ।

15. शोकिन पुत्र हासम खां जाति शेख मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ जिला चूरू ।
16. मुख्तयार पुत्र हासम खां जाति शेख मुसलमान निवासी वार्ड न0 19 कस्बा राजगढ जिला चुरू ।
17. कुलसुम पुत्री हासम खां जाति चोहान मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ जिला चूरू ।
18. मीना पुत्री हासम खां जाति चोहान मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ जिला चूरू ।
19. तहसीलदार राजगढ ।

jsLikMs.Vl

20. अलीनुर मोहम्मद पुत्र गफुर खां जाति शेख मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ जिला चूरू ।
21. ताज मोहम्मद पुत्र गफुर खां जाति शेख मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ जिला चूरू ।
22. रमजान पुत्र गफुर खां जाति शेख मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ जिला चूरू ।

xkS.k jsLikMsUVku

mifLFkr%& 1. श्री प्रहलाद जाखड अधिवक्ता अपीलांट

2.श्री रामकिशन गोयतान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh jktx< ds okn la0 10@2017 esa fu.kZ; o fMØh fnukad 16-08-2021 ds fo:} vihy vUrxZr /kkjk 223 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

fu.kZ; दिनांकः—04.08.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2021 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत वादगत ख0न0 1979 तादादी 8.6800 हैक्टयर, ख0न0 2029 तादादी 1.5600

हैक्टयर, ख0न0 2031 तादादी 2.9500 हैक्टयर, ख0न0 2032 तादादी 0.1300 हैक्टयर व ख0न0 2033 तादादी 0.3200 हैक्टयर कुल खसरा पांच तादादी 13.6400 हैक्टयर संयुक्त खातेदारी की रोही कस्बा राजगढ में स्थित है जिसमें अपीलांट व रेस्पो0 का 1/4 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी शुद्वा है जिसका निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.03.19 की पूर्णतया पालना न कर जारी दिनांक 16.08.2021 के विरूद्व यह अपील की गयी है ।

2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है वादगत वादगत खाता सं0 18 ख0न0 1979 तादादी 8.6800 हैक्टयर, ख0न0 2029 तादादी 1.5600 हैक्टयर, ख0न0 2031 तादादी 2.9500 हैक्टयर, ख0न0 2032 तादादी 0.1300 हैक्टयर व ख0न0 2033 तादादी 0.3200 हैक्टयर कुल खसरा पांच तादादी 13.6400 हैक्टयर संयुक्त खातेदारी की रोही कस्बा राजगढ में स्थित है जिसमें अपीलांट व रेस्पो0 का 1/4 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी शुद्वा है जिस पर अपीलांट व गोण रेस्पो0 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मौके के कब्जा काश्त के विपरित जाकर प्रस्ताव तैयार कर निर्णय व अतिंम डिक्री जारी की है जो इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.03.2019 की पालना के बिल्कुल विपरित जाकर निर्णय व डिक्री तैयार की गयी है । इस न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.03.19 में यह स्पष्ट निर्देश दिये थे कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो प्रस्ताव मंगवाये जाते है वो तहसीलदार या नायब तहसीलदार की उपस्थिति में मौके के कब्जा काश्त व सभी पक्षकारों की उपस्थिति में उनसे साक्ष्य व सबुत प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है वो महज खाना पुर्ति के लिये तैयार किया है जिसमें हल्का पटवारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव बनाया गया है इस विभाजन प्रस्ताव में सभी पक्षकार उपस्थित नही रहे है । अपीलांट को जरिये समन तलब ही नही किया गया है ओर ना ही विभाजन प्रस्ताव पर खातेदारान के हस्ताक्षर करवाये गये है । फर्द मौका रिपोर्ट अपीलांट व रेस्पो0 की उपस्थिति के बिना ही तैयार किया हुआ है । विभाजन प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई आपत्ति नही मांगी गयी है ओर ना ही पक्षकारान को साक्ष्य व सबुत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय की फर्दअहकाम दिनांक 18.08.2020 में शेष रहे प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सही पता मालूम कर रजिस्टर्ड समन तलबाना प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया है इसी तरह दिनांक 25.02.2021 को रजिस्टर्ड समन व तलबाना पेश करने हेतु आदेशित किया गया किन्तु रेस्पो0/वादी के द्वारा रजिस्टर्ड समन पेश नही किये गये तथा अपीलांट/प्रतिवादी पर तलबी हुई ओर सिधे ही पत्रावली बहस हेतु नियत कर दी गयी । अपीलांट/प्रतिवादी की उपस्थिति के बिना ही विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर निर्णय व अतिंम डिक्री जारी कर दी । माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रतिपादित नियम 18 से 21 की पालना भी निर्णय व डिक्री में नही की गयी । दोराने वाद रेस्पो0 सं0 6 कासम खां पुत्र मनीर खां का स्वर्गवास दिनांक 22.04.2021 को हो गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके वारिसानों को रेकार्ड पर न लिया जाकर ना ही उन्हे सुनवाई का कोई अवसर प्रदान

किये निर्णय व डिक्री पारित की गयी है जो न्यायोचित नही है । अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.08.2021 को खारिज किया जावे ।

3. रेस्पोडेन्टस अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक की बहस को नकारते हुऐ अपनी बहस निवेदन किया कि वादगत ख0न0 1979 तादादी 8.6800 हैक्टयर, ख0न0 2029 तादादी 1.5600 हैक्टयर, ख0न0 2031 तादादी 2.9500 हैक्टयर, ख0न0 2032 तादादी 0.1300 हैक्टयर व ख0न0 2033 तादादी 0.3200 हैक्टयर कुल खसरा पांच तादादी 13.6400 हैटयर संयुक्त खातेदारी की रोही कस्बा राजगढ में स्थित है जिसमें अपीलांट व रेस्पो0 का 1/4, 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी शुद्वा है जिस बाबत इस न्यायालय के द्वारा अपील सं0 46/2018 अनुवान अलीनूर मोहम्मद आदि बनाम करीम बक्स आदि के आदेश दिनांक 14.03.2019 को प्रकरण प्रतिप्रेषित रिमाण्ड कर अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देशित किया गया कि वादगत कृषि भूमि में जमाबंदी एव रेकार्ड के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर अपीलांट व रेस्पो0 मोके पर काबिज है के अनुसार तहसीलदार उसी हिसाब से प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को भिजवावे । विभाजन प्रस्ताव मोके पर मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में मंगवाया जाकर निर्णय व डिक्री पारित करे इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की निगरानी सं0 1708/2019 अनुवान अलीनूर बनाम करीम बक्स आदि में भी विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के द्वारा तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जाकर निर्णय व डिक्री पारित करें । इन्ही दोनो आदेशो की पालना में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 29.03.19 को विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर वहां उपस्थित पक्षकारानों के हस्ताक्षर करवा व सभी पक्षकारानों को जरिये रजिस्ट्री डाक से समन भिजवा नियमानुसार कार्यवाही कर विभाजन प्रस्ताव के बाद बहस निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2021 पारित की है जो कानूनी प्रक्रियानुसार सही है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2021 को यथावत रखा जावे ।

4. हमने उभय पक्ष अभिभाषक की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया । विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.03.2019 के अवलोकन से यह साबित होता है कि विभाजन प्रस्ताव केवल हल्का पटवारी की उपस्थिति में तैयार किया गया है जिस पर तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर अंकित है । तहसीलदार व नायब तहसीलदार स्तर का कोई भी अधीकारी मौके पर उपस्थित रहकर विभाजन प्रस्ताव को तैयार नही करवाया गया है । विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय केवल वादीगणों के ही हस्ताक्षर करवाये गये है । अपीलांट/प्रतिवादीगणों के एक भी पक्षकार के हस्ताक्षर विभाजन प्रस्ताव पर नही करवाये गये है । रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 6 कासम पुत्र मनीर खां के स्वर्गवास दिनांक 22.04.2021 दोराने दावा हो गया था जिसके वारिसानों को रेकार्ड पर नही लिया गया ना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया इस तरह से मृत व्यक्ति के विरूद्व निर्णय व डिक्री पारित की गयी है जो न्यायोचित नही है । इस तरह से इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 14.03.2019 की पालना निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व नही की गयी है ।

5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अतिंम डिक्री दिनांक 16.08.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देश दिया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 एवम माननीय राजस्व मण्डल के परिपत्र 18 से 21 के अनुसरण में नियमानुसार तहसीलदार को मौके पर भेजकर समस्त पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर प्रक्रियानुसार अतिंम डिक्री जारी कर प्रस्तुत आपत्तियों की सुनवाई साक्ष्य सबुत के उपरांत प्रत्येक सहखातेदारों के हिस्से को मध्य नजर रखते हुऐ बाई मिटस एण्ड बाउण्डस को दृष्टिगत करते हुऐ एवम दावे में मृतक पक्षकार के जाईन्दा वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर निर्णय दो माह में पारित करें । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।
6. निर्णय आज दिंनाक 04.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkM+h½
HkkizcU/k vf/kdkjh ,oa
insu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj